न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 54 / 2018

मनजिन्द्र कौर पत्नी मक्खन सिंह जाति जटसिख साकिन सरावां तहसील जैतो जिला फरीदकोट पंजाब।

प्रार्थीया

बनाम

1. अमरजीत कौर पत्नी मक्खन सिंह जाति जटसिख साकिन झूठीपती प्रतापनगर बठिंडा तहसील वं जिला बठिंडा पंजाब ।

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा ।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा ::–

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1.	श्री जगजीत सिंह रमाणा	–– प्रार्थीया
2.	श्री शलैन्द्र बिश्नोई	–– अप्रार्थी सं. 1
3.	राजपैरोकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा।	–– अप्रार्थी सं. 2

–:: निर्णय :–

दिनांकः–22/07/2024

अधिवक्ता श्री जगजीत सिंह रमाणा द्वारा प्रार्थीया की ओर से अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो निम्न प्रकार से है– यह कि उक्त अनवांन का प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत हो चुका है जिसमें प्रार्थीया को कामयाबी की पूर्ण सम्भावना है। यह कि प्रार्थीया के पति मक्खन सिंह थे जिनकी मृत्यु दिनांक 15.04.2017 को हो चुकी है। प्रार्थीया के पति मक्खन सिंह जो कि कैसर से पीड़ित थे। जिनका ईलाज महात्मा गांधी हास्पीटल सीतापुरा जयपुर राजस्थान में हुआ लेकिन मक्खन सिंह कैसर से अत्यन्त पीड़ित हो गये जिस कारण उनकी मृत्यु महात्मा गांधी हास्पीटल सीतापुरा जयपुर राजस्थान में दिनांक 15.04.2017 को हो गई। जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र सलग्न है। यह कि प्रार्थीया के पति मक्खन सिंह के नाम तहसील पीलीबंगा के चक 9 एलजीडब्ल्यू व 11 एलजीडब्लयू में उनका हक़ व हिस्सा निहित था जो कृषि भूमि निम्न प्रकार से है – चक नं. 9 एलजीडब्ल्यू खाता सं. 10/8 प.नं. 25/290 (14) किला नं. 20 ता 23, 24/21.127 तादांदी की 1.139 हैक. नहरी इस कृषि भूमि में प्रार्थीया के पति का 0.392 हैक. हिस्सा दर्ज रिकार्ड ळें ख. 11 एल्जीडब्ल्यू 55/48 18/300 (39) 1/.228,.025, 21.228,.025, 3/.228,.025, 4/.228,.025, 5/.202,.051, 10 की 1.518 हैक. नहरी मय खाला खातेदारी इस कृषि भूमि में प्रार्थीया के पति का 0.506 हैक. हिस्सा दर्ज रिकार्डयह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 क में वर्णित कृषि भूमि चक 9 एलजीडब्ल्यू के खाता सं. 10/8 के प.नं. 25/290 में प्रार्थीया के पति के नाम 0.392 हैक. हिस्सा दर्ज रिकार्ड रहा व चक 11 एलजीडब्ल्यू के खाता सं. 55/48 के प.नं. 18/300 में प्रार्थीया के पति के नाम ०. 506 हैक. हिस्सा दर्ज रिकार्ड रहा। प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थीया के पति का हिस्सा बदस्तूर जारी रहा। प्रार्थीया के पति जो कि कैंसर से पीड़ित थे व [illegible] भूमि को पूर्ण रूप से सम्भाल नही पाते थे । यदा कदा कृषि भूमि [illegible] इलाज महात्मा गांधी हस्पताल सीतापुरा जयपुर में हुआ [illegible] से पीड़ित थे जो कैंसर से ज्यादा प्रताड़ित होने के कारण हस्पताल [illegible]। जिनकी दौराने ईलाज महात्मा गांधी हस्पताल सीतापुरा जयपुर में मृत्यु हो गई। प्रार्थीया के मक्खन सिंह के नुत्फे से कोई पुत्र व पुत्री के रूप में सन्तान पैदा नही हुई । जिसकी वाबीस मिन प्रार्थीया व मक्खन सिंह की माता बलवीर कौर सहित कुल 2 ही है। इसके अलावा मक्खन सिंह का अन्य कोई वारीस नही है। इस कारण प्रार्थीया अपने पति मक्खन सिंह की मृत्यु के पश्चात ज्यादा शौकाकुल हो गई। उनकी ज़िदंगी हमसफर इस दुनिया से चला गया। इस कारण वह अपने आप को बड़ी मुश्किल से सम्भाल पाती थी। इस कारण प्रार्थीया द्वारा अपने पति के नाम चक 9 एलजीडब्ल्यू व चक 11 एलजीडब्ल्यू स्थित कृषि भूमि को सम्भालने व अपने नाम विरासतन दर्ज करवाने का

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.07.24 16:46:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

समय नही लगा। इसी बीच अप्रार्थी सं.1 अमरजीत कौर ने गलत फायदा उठाते हुए अपने हितो से वशीभूत होकर मिन प्रार्थीया का हक व हिस्सा मारने की गर्ज से अविधिक रूप से दस्तावेज तैयार कर मिन प्रार्थीया के पति मक्खन सिंह की भूमि को हड़पने के लिये मिन प्रार्थीया के पति मक्खन सिंह की पत्नी बनकर व मिन प्रार्थीया की सास यानी मक्खन सिंह की माता बलवीर कौर का नाम जोड़कर अविधिक रूप से दोनो चको की कृषि भूमि में अप्रार्थी सं. 1 ने अपना नाम जुड़वा लिया। मक्खन सिंह के हक हिस्सा में अप्रार्थी सं. 1 द्वारा मक्खन सिंह की पत्नी के रूप में विरास्तन कथित पत्नी बनकर नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा लिया जो कतई फर्जी व कूटरचित व मिन प्रार्थीया के हितो तक निष्प्रभावी है। अप्रार्थी सं. 1 मिन प्रार्थीया के पति मक्खन सिंह की पत्नी नही है बल्कि वह मक्खन सिंह नाम का अन्य व्यक्ति जो गांव निहालसिंहवाला तहसील निहालसिंहवाला जिला मोगा पंजाब का रहने – उसकी पत्नी है 2 वाला है जो अभी जीवित है जिसके दो लड़के थे एक आज भी दुनिया में है। इस प्रकार अप्रार्थी सं.1 जिसमें से एक की मृत्यु हो चुकी है व नें कथित पत्नी बनकर मिन प्रार्थीया का हक व हिस्सा हड़पने के लिये व मक्खन सिंह से मिन प्रार्थीया को प्राप्त होने वाले हिस्से कथित रूप से को खुर्द बुर्द करने के लिये जालसाझी कर अविधिक दस्तावेज तैयार कर अपना नाम विरास्तन इन्तकाल के रूप में मक्खन सिंह की माता बलवीर कौर के साथ जुड़वा लिया। अप्रार्थी सं.1 का नाम अविधिक व गलत रूप से विरास्तन जोड़ा गया है। जिसे प्रार्थीया दोनो चको की कृषि भूमि में से अप्रार्थी सं. 1 का नाम व हिस्सा कल्मजन करवाने व चक 9 एलजीडब्ल्यू खाता सं. 10/8 प.नं. 25/290 की कुल 1.139 हैक. में दर्ज 0.392 हैक. हिस्सा में अप्रार्थी सं.1 अमरजीत कौर का नाम व हिस्सा कल्मजन करवाने व मक्खन सिंह की पत्नी होने के कारण मिन प्रार्थीया अपना नाम की घोषणा करवाने की अधिकारणी है इसी प्रकार चक 11 एलजीडब्ल्यू खाता सं. 55/48 प.नं. 18/300 की कुल 1. 518 हैक. में दर्ज 0.506 हैक. हिस्सा में अप्रार्थी सं.1 अमरजीत कौर का नाम व हिस्सा कल्मजन करवाने व मक्खन सिंह की पत्नी होने के कारण मिन प्रार्थीया अपना नाम की घोषणा करवाने की अधिकारणी है। मिन प्रार्थीया की सास मक्खन सिंह की माता बलवीर कौर इस हिस्से में नाम यथावत रहेगा। अप्रार्थी सं.1 अमरजीत कौर का मिन प्रार्थीया के पति के साथ किसी प्रकार का सम्बंध नही है। वह किसी अन्य मक्खन सिंह नाम के व्यक्ति की पत्नी थी जिसका नाजायज फायदा उठाकर मिन प्रार्थीया का हक व हिस्सा मारने की गर्ज से मिन प्रार्थीया की जगह अप्रार्थी सं. 1 नें विरास्तन के रूप में अपना नाम दर्ज करवा लिया। जो कतई कूटरचित व मिन प्रार्थीया के हितो पर निष्प्रभावी है। मिन प्रार्थीया उसका नाम कल्मजन करवाने की अधिकारणी है लेकिन यदि राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने नाम का अप्रार्थी सं. 1 गलत फायदा उठाकर कृषि भूमि को अन्य व्यक्तियों को खुर्द बुर्द व रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल करने की फिराक है। यदि वह अपने मकसद में कामयाब हो जाती है। तो मिन प्रार्थीया को अपूर्णीय व अपरिमेय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीया के पक्ष में है। मिन प्रार्थीया के हक को महरूम करने की अप्रार्थी सं.1 की कुटिल चाल है। इन अत्यावश्क व तात्कालिक परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रार्थीया विरूद्ध अप्रार्थी सं.1 अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है कि अप्रार्थी सं.1 प्रार्थना पत्र की दफा 3 मे वर्णित कृषि भूमि में अपने नाम दर्ज भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे, मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है। कि अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद विरूद्ध अप्रार्थीगण इस अमर की जारी की जावे कि अप्रार्थी सं.1 चक 9 एलजीडब्ल्यू के खाता सं. 10/8 के प.नं. 25/290 [illegible] 20 ता 23, 24/21.127 की 1.139 हैक. नहरी भूमि में प्रार्थीया के पति का 0.[illegible] हैक. हिस्सा व चक 11 एलजीडब्ल्यू के खाता सं. 55/48 के प.नं. 18/300 (39) [illegible] .025, 2/.228,.025, 3/.228,.025, 4/.228,.025, 5/.202,.051, 10 की 1.518 [illegible] नहरी मय खाला खातेदारी में प्रार्थीया के पति का 0.506 हैक. हिस्सा दोनो चको की भूमि में से मक्खन सिंह के नाम दर्ज भूमि में से अप्रार्थी सं.1 अपने नाम दर्ज भूमि को रहन बैय [illegible] अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे व मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.07.24 16:46:02 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सरिस्ता रिपोर्ट बाद दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए अधिवक्ता श्री शलेन्द्र बिश्नोई वकालतनामा व जबाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 1 की और से प्रस्तुत किया गया है जो निम्न प्रकार से है– यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 में उक्त अनवान का वांद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत होना स्वीकार है परन्तु

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

उसमें प्रार्थीया को कामयाबी की कोई सम्भावना नही है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 प्रार्थीया स्वंय सिद्ध करे। मृत्यु होना स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 मुताबिक राजस्व रिकार्ड स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 अस्वीकार है क्योंकि अप्रार्थी सं.1 मुताबिक जमाबंदी रिकार्डेड खातेदार है। अप्रार्थीया सं.1 के पास चक 9 एलजीडब्ल्यू के प.नं. 25/290 (14) का कुल रकबा 1.139 हैक. में से 0.392 हैक. में से 1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। जिसकी अप्रार्थीया सं. 1 अकेली मालिक है। अप्रार्थीया सं.1 के पति मखन सिंह अप्रार्थीया सं.1 के साथ ही रहता था। अप्रार्थीया सं.1 के पति की मक्खन सिंह की मृत्यु होने के बाद मिन अप्रार्थीया सं.1 नें मृत्यु प्रमाण पत्र, वारीसनामा जारी करवाकर विरास्तन इन्तकाल अपने नाम व अपनी सास बलवीर कौर के नाम करवाया था। जिसमें सास का 1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थन पत्र की दफा 5 मनगढ़त व असत्य व मिथ्या रचित है जो अस्वीकार है। अप्रार्थीया सं.1 के पति मक्खन सिंह की मृत्यु के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र अप्रार्थीया सं. 1 में जारी करवाया था। अप्रार्थीया सं.1 के पति मक्खन सिंह का वारीसनामा तहसीलदार भठिंडा से जारीशुदा है तथा राशनकार्ड, पहचान पत्र, आधारकार्ड, गैंस कनैक्शन, बैंक पास बुक आदि दस्तावेजों में अप्रार्थीया सं.1 के पति का नाम मक्खन सिंह दर्ज है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीया. मय खर्चा खरिज फरमाया जावे। प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई बहस पर मनन व पत्रावली अवलोकन कर प्रार्थना पत्र साबित नहीं होने से रिकार्डड खातेदार के विरूद्ध व्यया आदेश जारी करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

आदेश

अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के कथनो को दोहराया गया एवं अधिवक्ता अप्रार्थीया द्वारा मौखिक बहस में जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वर्तमान रिकार्ड में अप्रार्थीया संख्या 1 रिकार्डिड खातेदार है प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आटीए के तहत प्रार्थीया पक्ष निषेधाज्ञा हासिल करना चाहता है जो अनवरत किए जाने योग्य नहीं है, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने का निवेदन किया गया। बहस उभय पक्ष बहस पर भलीभाति मनन किया गया। पत्रावली व पेशा प्रार्थना पत्र व शपंथ पत्र का दस्तावेजों व साक्ष्यों का गहराई से अध्ययन किया गया। यह न्यायालय स्थगनादेश जारी किए जाने पर इसलिए सहमत नहीं होता है क्योंकि राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा खातेदार के हिस्से तक संयुक्त संपति के सभी अंशाधारी कब्जे में होना माने जाते है और बिना विभाजन के उसके हिस्से की संपति को बेचान करने के हकदार भी है जबकि अप्रार्थी सं.1 रिकोर्डेड खातेदार है। उनको अपने हिस्से की भूमि को विक्रय/अन्तरण/रहन न करने से पांबद नहीं किया जा सकता है।(आरआरटी 2009 (1) पेज (25) किसी भी रिकोर्डेड खातेदार के खिलाफ बिना मूल दावा अंतिम डिक्री व्यादेशा अनवरत् किया जाना उचित व संगत प्रतीत नहीं होता है। इसलिए अस्थाई व्यादेशा अनवरत् किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, लिहाजा उक्त प्रार्थना पत्र को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। दिनांक 18.06.2018 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नबंर से कम की जाकर बाद तरतीब व तकमील के दाखिल दफ्तर की जाती है। संलग्न मूल वाद रहे।

यह आदेशा आज दिनांक [illegible] को [illegible] गया। पत्रावली नंबर से कम की जाकर संलग्न मूल वाद की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.07.24 16:46:02 IST
Reason: SelfAttested

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा